मसूदा (अजमेर)

20/7/17 पक्ष० एवं वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी का निवेदन रहा कि विवादित सभी भूमियां पुश्तैनी भूमियां है। जिसके अप्रार्थी 1 दीगर व्यक्तियों को बेचान/ हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अप्रार्थी प्रार्थीगण के दादा है। और विवादित आराजियात प्रार्थीगण को परदादा के उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है। इसलिए अप्रार्थी के हिस्से की आराजी में प्रार्थीगण का भी हिस्सा निहित है। जिसे अप्रार्थी सं.1 गैर व्यक्तियों के बेचान हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं.1 के वकील का निवेदन रहा कि प्रा० पत्र में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी न होकर छोगा की है। जो भी राजस्व रिकार्ड में छोगा के अकेले के नाम दर्ज है। और छोगा की मृत्युपरान्त उनकी दो पुत्रियां दाखू व सीता के साथ उदयराम का बराबर-बराबर 1/3 हक हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार के तहत कानूनन बनता है। प्रार्थीगण झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी कोई धमकियां एवं बेचान वगैरह नहीं कहा प्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते। उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में रहते है जिसे बेचान करने का प्रश्न ही नहीं पैदा नहीं होता। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र का निस्तारण मैरिट पर होना है। अप्रार्थी छोगा के दो बेटे दाखू व सीता जिन्हें प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया और प्रार्थीगण का उक्त आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा और ना ही बिना कब्जा के किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 13:26:06 IST
Reason: SelfAttested